

01/6/18

पत्रावली आज दिनांक 18 जून 2018 को उच्च न्यायालय के जजों के सामने सुनी गई। पत्रावली का अंतिम पंजाब अदालत में किया गया। बाद में अदालत पाया कि उक्त विवेचन, संलग्न वक्तव्य के अनुसार तारीखें नंबर 1, 2, 3 वादीगण के हक में निर्मित की जा चुकी हैं। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत अफेस डिग्री एपक से रजिस्ट्रार करवाकर न्यायालय को एक प्रेरित एन्वॉलप शामिल मिला कि जहाँ मिसल फॉर्मल शुभान एपेकर नंबर से कम है बाद एन्वॉलप शामिल है।

(सुरेश चावला)

उपरोक्त अधि एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज

मोहन सिंह

भवानी सिंह

